

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या— 288 / 2022

राज्य

बनाम

विवेक कुमार

मु०अ०सं०—68 / 2021

अ० धारा—292,504,506 भा०दं०सं० 67

(बी) आई०टी०एक्ट

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक: 02.08.2022

आज अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र रात जी [निवासी ग्राम बिजोली पो० देकमा थाना बरदाह जिला आजमगढ़,उ०प्र०](#) हाल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी पोलो ग्राउन्ड क्वार्टर नम्बर 4 मसूरी देहरादून विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—292,504,506 भा०दं०सं० 67 (बी) आई०टी०एक्ट मे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—292,504,506 भा०दं०सं० 67 (बी) आई०टी०एक्ट में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—292,504,506 भा०दं०सं० 67 (बी) आई०टी०एक्ट एक्ट मे संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 25.08.2022 को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 240 / 2022

राज्य

बनाम

मोनू कुमार

मु०अ०सं०—91 / 2021

अ० धारा—279, 304ए भा०दं०सं०

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 02.08.2022

आज अभियुक्त मोनू कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम हबीबपुर नवादा,हुल्लावाला इमलीखेडा जिला हरिद्वार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता मे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता मे संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 240 / 2022

राज्य

बनाम

पंकज नौटियाल

मु०अ०सं०—11 / 2022

अ० धारा—279,304 ए, एवं 427

भा०दं०सं०

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 16.07.2022

आज अभियुक्त पंकज कुमार नेगी पुत्र विनोद सिंह नेगी निवासी डोभ श्रीकोट थाना पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—279,304 ए, एवं 427 भा०दं०सं० मे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—279,304 ए, एवं 427 भा०दं०सं०में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—279,304 ए, एवं 427 भा०दं०सं० मे संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या—242/2022
राज्य बनाम शैलेश खण्डूडी

मु०अ०सं०—11/2021
अ०धारा—504,506 भा०दं०सं०, 1860
थाना— श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक—16.07.2022

अभियुक्त शैलेश खण्डूडी पुत्र दिनेश प्रसाद खण्डूडी, निवासी—गली नम्बर 20 कृष्णानगर कुमहारवाली गली गंगनहर रुडकी हरिद्वार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त शैलेश खण्डूडी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है।

फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **29.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-242/2022
राज्य बनाम शैलेश खण्डूडी

मु०अ०सं०-11/2021
अ०धारा-504,506 भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक-16.07.2022

अभियुक्त शैलेश खण्डूडी पुत्र दिनेश प्रसाद खण्डूडी, निवासी-गली नम्बर 20 कृष्णानगर कुमहारवाली गली गंगनहर रुडकी हरिद्वार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त शैलेश खण्डूडी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है।

फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **29.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 240 / 2022

राज्य

बनाम

मुकेश नौटियाल

मु०अ०सं०—31 / 2022

अ० धारा—406,504 भा०दं०सं०

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 07.07.2022

आज अभियुक्त मुेश नौटियाल पुत्र चक्रधर नौटियाल निवासी बजीरों का बाग श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—504,506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 214 / 2022

राज्य

बनाम

अनूप नैथानी

मु०अ०सं०—31 / 2022

अं० धारा—323,506 भा०दं०सं०

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 07.07.2022

आज अभियुक्त अनूप नैथानी पुत्र स्व० बृजमोहन नैथानी निवासी निकट तहसील अपर भक्तियाना श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—323,506 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—323,506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—323,506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **29.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या— 178/2022
राज्य बनाम भजन सिंह

मु०अ०सं०—96/2021
अं० धारा—60/72 आबकारी अधिनियम
थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 17.05.2022

आज अभियुक्त तरुण रावत एवं विपिन रावत के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60/72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60/72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60/72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **14.06.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 186 / 2022

राज्य बनाम आशीष थपलियाल आदि

मु०अ०सं०—05 / 2022

अं० धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 09.07.2022

आज अभियुक्त आशीष थपलियाल एवं सूरज सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **20.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या— 178 / 2022
राज्य बनाम तरुण रावत आदि

मु०अ०सं०—08 / 2022
अं० धारा—60 आबकारी अधिनियम
थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 17.05.2022

आज अभियुक्त तरुण रावत एवं विपिन सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—60 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—60 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **20.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या— 185 / 2022

राज्य बनाम भजन सिंह

मु०अ०सं०—08 / 2022

अ० धारा—60 आबकारी अधिनियम

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक: 09.07.2022

आज अभियुक्त भजन सिंह रावत पुत्र स्व० जोध सिंह, निवासी डांग श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक **20.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है । अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 27 / 2022

राज्य बनाम कलम सिंह

मु०अ०सं०—64 / 2021

अं० धारा—60(1) / 72 आबकारी अधिनियम

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 10.07.2022

आज अभियुक्त कलम सिंह भण्डारी पुत्र स्व० विजय सिंह भण्डारी निवसी डांडा बढियारगढ़, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60 / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **20.07.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-124 / 2022
राज्य बनाम महेश पन्त आदि

मु०अ०सं०-59 / 2021
अं०धारा-406,420,120(बी) भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक-27.04.2022

अभियुक्त महेश पन्त, महताब अली एवं संदीप सिंह कण्डारी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-406,420,120(बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-406,420,120(बी), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-406,420,120(बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **30.05.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

30.05.2022

पत्रावली पेश। पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव डोभाल उपस्थित। अभियुक्तगण उपस्थित नहीं। अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत समन जारी हो। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनांक **17.06.2022** को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 123 सन् 2022

राज्य

बनाम

भानू प्रताप भट्ट

मु0अ0संख्या-85 / 2021

अ0धारा: 406,420 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 27.04.2022 :

आज अभियुक्त भानू प्रताप भट्ट के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 406,420 भा0दं0सं0 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-406,420 भा0दं0सं0, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त भानू प्रसाद भट्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-406,420 भा0दं0सं0 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक **18.05.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

18.05.2022

पत्रावली पेश। पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव डोभाल उपस्थित। अभियुक्त उपस्थित नहीं। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत समन जारी हो। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक **20.06.2022** को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या-116/2022

सुन्दन दास बनाम बच्चन दास आदि

अंतर्गत धारा-323,504,506 भादसं

थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक 18.04.2022

आज परिवादी सुन्दन दास द्वारा अभियुक्तगण नरेश कुमार एवं समीक्षा के विरुद्ध यह परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा-323,504,506 भादसं मे प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का परिशीलन किया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 30.04.2022 को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या-116/2022
सरोजनी देवी बनाम भक्ति दास आदि

अंतर्गत धारा-31 डी०वी०एक्ट
थाना- श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक 24.11.2022

आज परिवादीनी सरोजनी देवी द्वारा विपक्षीगण भक्तिदास,महेश,पिंकी देवी,गिरीश चन्द्र,अनिता देवी, थानाध्यक्ष श्रीनगर एवं संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध यह परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा-31,घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम मे प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-31,घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम का अपराध होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 08.12.2021 को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 08.12.2021

पत्रावली पेश। पुकारा गया। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी उपस्थित।स्थगन साक्ष्य पेश आज की तिथि के लिएस्वीकृत। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु दिनांक **07.01.2022** को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

28.01.2022

पत्रावली पेशं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन नम्बर 08/यूएचसी/एडमिन बी/2022 दिनांक 21.01.2022 के अनुपालन मे केवल अति महत्वपूर्ण मामलो की सुनवाई की जानी है। उक्त नोटिफिकेशन के अनुपालन मे उक्त मामला टेक अप नही किया जा सकता हैं। अतः पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु दिनांक **07.02.2022** को पेश हो।

प्रभारी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

07.02.2022

पत्रावली पेश। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन नम्बर 08/यूएचसी/एडमिन बी/2022 दिनांक 21.01.2022 के अनुपालन में केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जानी है। उक्त नोटिफिकेशन के अनुपालन में उक्त मामला टेक अप नहीं किया जा सकता है। अतः पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु दिनांक **17.03.2022** को पेश हो।

प्रभारी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 17.03.2022

पत्रावली पेश। पुकारा गया। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सी०वी०तिवाड़ी उपस्थित। स्थगन साक्ष्य पेश आज की तिथि के लिए स्वीकृत। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु दिनांक **05.04.2022** को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या-102/2022

जगदम्बा प्रसाद काला बनाम राजमोहन चमोली आदि

अन्तर्गत धारा-323, 504, 506, 447,
448, 352, 354 भा०दं०सं०, 1860

थाना- श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक 31.03.2022

आज परिवादी जगदम्बा प्रसाद काला द्वारा अभियुक्तगण राजमोहन चमोली, राजेश्वरी देवी, सिद्धार्थ के विरुद्ध यह परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा-323, 504, 506, 447, 448, 352, 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 प्रस्तुत किया गया ।

पत्रावली का परिशीलन किया । पत्रावली के परिशीलन से अभियुक्तगण राजमोहन चमोली, राजेश्वरी देवी, सिद्धार्थ के विरुद्ध धारा-323, 504, 506, 447, 448, 352, 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अपराध होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है । परिवाद दर्ज रजिस्टर हो ।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 18.04.2022 को पेश हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-100/2022
राज्य बनाम संतोख सिंह

मु०अ०सं०-87/2021
अ०धारा-279, 338 भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक-29.03.2022

अभियुक्त संतोख सिंह पुत्र काहाला सिंह, निवासी आनन्दपुर साहिब, अमरपुर बेदी रूपनगर, पंजाब के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-279, 338, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 338, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त संतोख सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या-99/2022

राज्य बनाम गौरव सिंगला

मु०अ०सं०-76/2021

अंतर्गत धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक-29.03.2022

आज अभियुक्त गौरव गुप्ता उर्फ गौरव सिंगला पत्र श्री गोविन्द गुप्ता, निवासी-717/2 खत्री बाड़ा, नजदीक अग्रसैन चौक, ओल्ड फरीदाबाद के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, सामान्य दैनिकी विवरण आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या-98/2022

राज्य बनाम अमित जुगरान

मु०अ०सं०-75/2021

अंतर्गत धारा-406 भा०दं०सं०, 1860

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक-29.03.2022

आज अभियुक्त अमित जुगरान पुत्र स्व० श्री ललित मोहन जुगरान, निवासी-145 डांग ऐठाना, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-406 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामान्य दैनिकी विवरण, नक्शा नजरी, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-406 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

अंतिम रिपोर्ट संख्या-08 / 2022

संगीता देवी बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-83 / 2021

अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक 20.07.2022

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक **28.07.2022** को वास्ते [आपत्ति / निस्तारण](#) पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या-85/2022

राज्य बनाम नितेश रावत

मु०अ०सं०-82/2021

अंतर्गत धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०, 1860

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक-21.03.2022

आज अभियुक्त नितेश रावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह रावत, निवासी-एस.जी.आर.आर. के पास पब्लिक विद्यालय कमलेश्वर श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, सामान्य दैनिकी विवरण, मेडिकल, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक
को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या-87 / 2022
राज्य बनाम रविन्द्र सिंह

मु०अ०सं०-93 / 2021
अंतर्गत धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक-21.03.2022

आज अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-फरासू, थाना-श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, सामान्य दैनिकी विवरण, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-504, 506 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 86 / 2022

राज्य बनाम योगेन्द्र सिंह रावत

मु०अ०सं०—95 / 2021

अं० धारा—60(1) / 72 आबकारी अधिनियम

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 21.03.2022

आज अभियुक्त योगेन्द्र सिंह रावत उर्फ योगिरा उर्फ योगी पुत्र श्री सोहन सिंह रावत, निवासी श्रीकोट गंगनाली, बेस अस्पताल, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—60(1) / 72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60(1) / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा—60(1) / 72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-15/2022
राज्य बनाम गजेन्द्र शाह

मु०अ०सं०-61/2021
अन्तर्गत धारा-60/72 आबकारी अधिनियम।
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक:-13.01.2022

आज अभियुक्त गजेन्द्र शाह के विरुद्ध मु०अ०सं०-61/2021 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-60/72 आबकारी अधिनियम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-60/72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा-60/72 आबकारी अधिनियम में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:—89/2022

राज्य बनाम अभय पंवार

मु०अ०सं०—12/2021

अंतर्गत धारा—8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट।

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 21.03.2022

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त अभय पंवार पुत्र श्री बचन सिंह पंवार, निवास—किलकिलेश्वर चौरास, थाना कीर्तिनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०—12/2021, अन्तर्गत धारा—8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 4.06 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा—8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-88/2022

राज्य बनाम अनूप पुरी

मु०अ०सं०-11/2021

अंतर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट।

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 21.03.2022

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त अनूप पुरी पुत्र श्री राजेन्द्र पुरी, निवास-किलकिलेश्वर चौरास, थाना कीर्तिनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०-11/2021, अन्तर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 4.08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
अंतिम रिपोर्ट संख्या-03/2021
राज्य बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-39/2020
अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 22.11.2021

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक को वास्ते आपत्ति/निस्तारण पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

अंतिम रिपोर्ट संख्या-04 / 2021

राज्य बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-02 / 2021

अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०

थाना-महिला थाना श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक 22.11.2021

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक

को वास्ते आपत्ति/निस्तारण पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
अंतिम रिपोर्ट संख्या-02/2021
राज्य बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-41/2019
अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक-

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक को वास्ते आपत्ति/निस्तारण पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
अंतिम रिपोर्ट संख्या-03/2021
राज्य बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-39/2020
अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 22.11.2021

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक को वास्ते आपत्ति/निस्तारण पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
अंतिम रिपोर्ट संख्या-03/2021
राज्य बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-39/2020
अंतर्गत धारा-365 भा०दं०सं०
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 22.11.2021

आज यह अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई। अन्तिम रिपोर्ट व अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी को नोटिस जारी होवे।

पत्रावली दिनांक को वास्ते आपत्ति/निस्तारण पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या:-28/2022

राज्य बनाम भगवान सिंह

मु०अ०सं०-31/2021

अंतर्गत धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट ।

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक: 07.02.2022

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त भगवान सिंह भण्डारी पुत्र श्री नन्दन सिंह भण्डारी, निवासी ग्राम व पोस्ट-ताल, जिला पौड़ी गढ़वाल, हाल पता-लैण्डमार्क ऑटो, उफल्डा, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०-31/2021, अन्तर्गत धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 86 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा-207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।
अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:—29/2022

राज्य बनाम भरत सिंह

मु०अ०सं०—38/2021

अंतर्गत धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट।

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 07.02.2022

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त भरत सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी ग्राम सोनाव, जिला रुद्रप्रयाग के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०—38/2021, अन्तर्गत धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 80 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-274/2021

राज्य बनाम भगवान सिंह

मु०अ०सं०-65/2021

अंतर्गत धारा- 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट।

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 23.12.2021

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, निवासी-सकुल्ल मौहल्ला, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०-67/2020, अन्तर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 04.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या: 27 सन् 2022
राज्य बनाम कलम सिंह

मु0अ0सं0-64 सन् 2021

अं0 धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 07.02.2022 आज अभियुक्त कलम सिंह भण्डारी पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह भण्डारी, निवासी-डांडा, बडियारगढ़, पुलिस स्टेशन कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 7 पेटी सोलमेट ब्लैक डिलक्स अंग्रजी व्हीस्की, 5 पेटी हाफ सोलमेट ब्लैक डिलक्स अंग्रजी व्हीस्की एवं 02 पेटी क्वार्टर सोलमेट ब्लैक डिलक्स अंग्रजी व्हीस्की व शराब के परिवहन में संलिप्त कार बरामद हुई । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक **24.02.2022** को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है । अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या— 278 / 2021
राज्य बनाम सतीश कुमार

मु०अ०सं०—24 / 2021
अंतर्गत धारा—26(1) बी,33 वन अधिनियम
504,332 भा०दं०सं०, 1860
थाना— श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक—24.12.2021 आज अभियुक्त रविन्द्र सिंह खत्री व हरेन्द्र सिंह भण्डारी के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—26(1) बी,33 वन अधिनियम 504,332 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामान्य दैनिकी विवरण, मेडिकल,नक्शा नजरी, गिरफ्तारी सूचना मैमो,फोटोग्राफ्स आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा—26(1) बी,33 वन अधिनियम 504,332 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या— 282/2021

राज्य

बनाम

आशीष रावत व अन्य

मु०अ०सं०—25/2021

अंतर्गत धारा—323,504,506 भा०दं०सं०, 1860

थाना— श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक—24.12.2021 आज अभियुक्त आशीष रावत व अभिषेक नेगी के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—323,504,506 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामान्य दैनिकी विवरण, मेडिकल, नक्शा नजरी, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा—323,504,506 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-281/2021
राज्य बनाम अरविन्द सिंह कठैत

मु०अ०सं०-56/2020
अ०धारा-279, 337, 338 भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक-24.12.2021

अभियुक्त अरविन्द सिंह कठैत पुत्र विजेन्द्र सिंह, निवासी-लोअर भक्तियाना पीएनबी के पास श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त अरविन्द सिंह कठैत के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या— 15/2021

राज्य
अन्य

बनाम

दीपक उनियाल व

मु०अ०सं०—05/2021

अंतर्गत धारा—323,504 भा०दं०सं०, 1860

थाना— श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक—24.12.2021 आज अभियुक्त दीपक उनियाल, लक्ष्मी प्रसाद चमोली व कमल भट्ट के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—323,504 भा०दं०सं०, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ एनसीआर, सामान्य दैनिकी विवरण, नक्शा नजरी, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 (क) आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा—323,504 भा०दं०सं०, 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या—
राज्य बनाम दीपक उनियाल व अन्य

मु०अ०सं०—11 / 2021
अंतर्गत धारा—376 भा०दं०सं०, 1860
थाना—महिला श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक—27.01.2022

आज अभियुक्त ओमप्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—376 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से मामले में आरोप पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक की प्रति, सामान्य दैनिकी विवरण, मेडिकल रिपोर्ट, नक्शा नजरी, होटल रसीद फोटोप्रति, व्हाट्सअप चैट फोटो, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, वादिनी के धारा—164 दं०प्र०सं० के बयान आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा—376 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली अभियुक्त को धारा—207 दं०प्र०सं० 1973 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान किये जाने हेतु पेश हो। नकल प्रपत्र तैयार किये जायें।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-11/2022
राज्य बनाम राकेश पन्त

मु०अ०सं०-71/2021
अ०धारा-279, 337, 338, 304ए भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक-13.01.2022

अभियुक्त राकेश पन्त पुत्र गोपाल पन्त, निवासी-पोखरी, थाना पोखरी, जिला चमोली के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त राकेश पन्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है।

फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या-10/2022
राज्य बनाम अमित सिंह

मु०अ०सं०-70/2021
अं०धारा: 279, 337 भा०दं०सं०, 1860
थाना- श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक-06.01.2022

अभियुक्त अमित सिंह पुत्र श्री मकान सिंह, निवासी-ग्राम घणजी बढिपारगढ़, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्त अमित सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।
अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या-17 / 2022
राज्य बनाम शुभम राणा

मु०अ०सं०-30 / 2021
अंतर्गत धारा-324, 506 भा०दं०सं०, 1860
थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 11.01.2022

अभियुक्त शुभम राणा के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-324, 506 भा०दं०सं०, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-324, 506 भा०दं०सं०, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त शुभम राणा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-323, 506 भा०दं०सं०, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:—283/2021

राज्य बनाम मनोज प्रभाकर व अन्य

मु०अ०सं०—03/2021

अन्तर्गत धारा—323, 504, 506, 498ए भा०दं०सं०, 1860

एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 24.12.2021

अभियुक्तगण मनोज प्रभाकर, लक्ष्मी प्रसाद व कविता के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—323, 504, 506, 498ए भा०दं०सं०, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—323, 504, 506, 498ए भा०दं०सं०, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण मनोज प्रभाकर, लक्ष्मी प्रसाद व कविता के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—323, 504, 506, 498ए भा०दं०सं०, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-251/2021

राज्य बनाम सुदीप कुमार व अन्य

मु०अ०सं०-57/2020

अन्तर्गत धारा-409, 420, 467, 468, 471

व 120(बी०) भा०दं०सं०, 1860

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 22.12.2021

आज अभियुक्तगण सुदीप कुमार, अमरदेव एवं सुमन चौहान के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-409, 420, 467, 468, 471 व 120(बी०) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-409, 420, 467, 468, 471 व 120(बी०) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण सुदीप कुमार, अमरदेव एवं सुमन चौहान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-409, 420, 467, 468, 471 व 120(बी०) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:—277 / 2021

राज्य बनाम रूपेश नेगी व अन्य

मु०अ०सं०—70 / 2020

अंतर्गत धारा—411, 419, 420, 120बी० भा०दं०सं०, 1860

थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 23.12.2021

आज अभियुक्तगण रूपेश नेगी उर्फ कार्तिक ठाकुर एवं सोहन सिंह उर्फ सोनू के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—411, 419, 420, 120बी० भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—411, 419, 420, 120बी० भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण रूपेश नेगी उर्फ कार्तिक ठाकुर एवं सोहन सिंह उर्फ सोनू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—411, 419, 420, 120बी० भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा—207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या:-292 / 2021
राज्य बनाम पपेन्द्र उर्फ पप्पू

मु०अ०सं०-04 / 2021
अंतर्गत धारा-323, 354, 504 भा०दं०सं०, 1860
थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 24.12.2021

आज अभियुक्त पपेन्द्र उर्फ पप्पू के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-323, 354, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-323, 354, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त पपेन्द्र उर्फ पप्पू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-323, 354, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०),
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-274/2021

राज्य बनाम देवेन्द्र कुमार

मु०अ०सं०-65/2021

अंतर्गत धारा- 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट।

थाना-श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक: 23.12.2021

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, निवासी-सकुल्ल मौहल्ला, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०-67/2020, अन्तर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 04.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा-8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा-207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या:—288 / 2021

राज्य बनाम ललित सिंह नेगी

मु०अ०सं०—35 / 2021

अंतर्गत धारा—25 आर्म्स एक्ट ।

थाना—श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक: 23.12.2021

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त ललित सिंह नेगी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, निवासी—ग्राम कोस्यात विलकेदार, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०—35 / 2021, अन्तर्गत धारा—25 आर्म्स एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 3 कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक लोहे का तंमचा बरामद हुए । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा—25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा—207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो ।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या:—273 / 2021

राज्य बनाम अभिषेक चौधरी

मु०अ०सं०—66 / 2020

अंतर्गत धारा— 8 / 21 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना—कोतवाली, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक: 22.12.2021

प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त अभिषेक चौधरी उर्फ रणवीर पुत्र श्री दलीप चौधरी, निवासी—10ए कंकर टोला बरेली, थाना बारादरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध आरोपपत्र, मु०अ०सं०—66 / 2020, अन्तर्गत धारा—8 / 21 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 04.26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा—8 / 21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा—207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो ।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)

श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-230 सन् 2021
राज्य बनाम नीरज कनवासी

मु0अ0सं0-68 सन् 2020
अं0धारा- 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक: 17.09.2021— आज अभियुक्त नीरज कनवासी पुत्र जगमोहन, निवासी-बन्दर खण्ड, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली के विरुद्ध आरोपपत्र, मु0अ0सं0-68 सन् 2020, अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 04.76 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:—429 सन् 2019
राज्य बनाम बिजेन्द्र सिंह नेगी व अन्य

मु0अ0सं0—23 सन् 2019
अं0धारा: 325, 504, 506 भा0दं0सं0, 1860 ।
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक:— 10.09.2021 अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री मंगल सिंह, 2. राजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री मंगल सिंह एवं 3. हिमांशु पुरी पुत्र श्री देवी प्रसाद पुरी, निवासीगण—ग्राम—रेवड़ी (कांडई), थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र सिंह नेगी, 2. मुकेश कुमार नैथानी एवं 3. हिमांशु पुरी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है।
अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:-177 सन् 2021
राज्य बनाम चतर सिंह

मु0अ0सं0-02 सन् 2019
अं0धारा: 279, 337 भा0दं0सं0, 1860
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक :- 11.08.2021 अभियुक्त मुकेश कुमार नैथानी पुत्र श्री खिलानन्द नैथानी, निवासी-मकान नम्बर-359, शिव विहार, न्यू डांग, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्त मुकेश कुमार नैथानी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।
अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या:-171 सन् 2021
राज्य बनाम अविनाश तड़ियाल

मु0अ0सं0-50 सन् 2020
अं0धारा- 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक: 09.08.2021- आज अभियुक्त अक्षय मियां पुत्र विक्रम सिंह, निवासी-न्यू डांग, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 3.10 ग्राम (पन्नी सहित) अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या:-170 सन् 2021
राज्य बनाम अविनाश तड़ियाल

मु0अ0सं0-49 सन् 2020
अं0धारा- 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 09.08.2021- आज अभियुक्त अविनाश तड़ियाल पुत्र सत्ते सिंह, निवासी-कमलेश्वर, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र, अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 3.30 ग्राम (पन्नी सहित) अवैध स्मैक बरामद हुई । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है । अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:-167 सन् 2021
राज्य बनाम चतर सिंह

मु0अ0सं0-39 सन् 2019
अं0धारा: 465, 468 भा0दं0सं0, 1860
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक :- 09.08.2021 अभियुक्त चतर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी-ग्राम-कोल्हा, विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 465, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा धारा 465, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्त चतर सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 465, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।
अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:-168 सन् 2021
राज्य बनाम अभिषेक डंगवाल आदि

मु0अ0सं0-72 सन् 2020
अं0धारा: 323, 504, 506 भा0दं0सं0, 1860
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक :- 09.08.2021 अभियुक्तगण अभिषेक डंगवाल एवं शुभम सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्तगण अभिषेक डंगवाल एवं शुभम सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है ।
अभियुक्तगण को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या: 169 सन् 2021
राज्य बनाम संजय कुमार

मु0अ0सं0-53 सन् 2020

अं0 धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 09.08.2021 आज अभियुक्त संजय कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-ग्राम-शिवपुरी, पो0 खांकरा, थाना रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग, हाल निवासी-सुशील उनियाल सिंडिकेट बैंक के ऊपर, निकट रेनबो स्कूल, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 52 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब व शराब के परिवहन में संलिप्त स्कूटी बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या: 176 सन् 2021
राज्य बनाम कीर्तिराम

मु0अ0सं0-08 सन् 2021

अं0 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक:11.08.2021 आज अभियुक्त कीर्तिराम पुत्र श्री भोलादत्त, निवासी-ग्राम-कोटि बलूनी, पो0 मगरौं, कोटी, थाना घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल, हाल निवासी-चाय, पानी का ढाबा, नियर झिंकवाड़ा गली, श्रीकोट गंगानाली, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60(1) आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 56 पक्के अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या: 178 सन् 2021
राज्य बनाम अम्बुज सिंह नेगी

मु0अ0सं0-06 सन् 2021

अं0 धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम
थाना/कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल।

दिनांक: 11.08.2021 आज अभियुक्त अम्बुज सिंह नेगी पुत्र श्री भगत सिंह नेगी, निवासी-ग्राम-केतवाड़ी, पो0 तल्ली, दिशोली तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, हाल निवासी-अविका फास्ट फूड सेन्टर, एजेंसी मौहल्ला, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व 10 केन बीयर एवं शराब के परिवहन में संलिप्त स्कूटी संख्या-UK14E-7855 बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या: 166 सन् 2021
राज्य बनाम रोहित बंगवाल

मु0अ0सं0-74 सन् 2020

अं0 धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना / कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 09.08.2021 आज अभियुक्त रोहित बंगवाल पुत्र विरेन्द्र बंगवाल, निवासी-ग्राम-जाखणी, कीर्तिनगर, थाना कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 15 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक
अभियुक्त को समन जारी हो।

को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या: 180 सन् 2021
राज्य बनाम उमेश चन्द्र

मु0अ0सं0-71 सन् 2020
अं0 धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना / कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 11.08.2021 आज अभियुक्त उमेश चन्द्र पुत्र खिलानन्द, निवासी-ग्राम-मेणू चौरास, थाना कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 02 पेटी (24 बोतल) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है।
अभियुक्त को समन जारी हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल ।

फौजदारी वाद संख्या: 179 सन् 2021
राज्य बनाम अनूप सिंह बिष्ट

मु0अ0सं0-05 सन् 2021
अं0 धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना / कोतवाली-श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक: 11.08.2021 आज अभियुक्त अनूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह बिष्ट, निवासी-ग्राम-मरोड़ा, पो0 डुंगरीपंथ, तहसील व थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 24 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई । तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है ।
अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:—429 सन् 2019
राज्य बनाम विजेन्द्र सिंह नेगी व अन्य

अं0धारा: 325, 504, 506 भा0दं0सं0, 1860
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक :- 16.08.2021 अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र सिंह, 2. राजेन्द्र सिंह नेगी व हिमांशु पुरी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र सिंह, 2. राजेन्द्र सिंह नेगी व हिमांशु पुरी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक 01.09.2021 को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है । अभियुक्तगण को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:—177 सन् 2020
राज्य बनाम ताजवीर सिंह

अं0धारा: 498ए, 304बी. भा0दं0सं0, 1860
एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम ।
थाना: श्रीनगर गढ़वाल ।

दिनांक :- 11.08.2021 अभियुक्त ताजवीर सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामग्री का अवलोकन किया गया । तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है । अतः अभियुक्त ताजवीर सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 98ए, 304बी. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध में संज्ञान लिया जाता है ।

फौजदारी अहलमद धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है । अभियुक्त को समन जारी हो ।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।
फौजदारी वाद संख्या:- 104 सन् 2020
राज्य बनाम किशन सिंह

अन्तर्गत धारा: 279,304ए भा0दं0सं0, 1860
थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

दिनांक:-17.04.2021 आज अभियुक्त किशन सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 279,304-ए,337,338,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल
फौजदारी वाद संख्या सन् 2020
धीरेंद्र सिंह बनाम दिनेश गुनसौला

अधारा: 138 एन0आई0 एक्ट

दिनांक 23.03.2020 : आज परिवादी धीरेंद्र सिंह द्वारा अभियुक्त दिनेश गुनसौला के विरुद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रपत्रों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह विदित होता है कि संज्ञान के बिन्दु पर परिवादी को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी दशा में पत्रावली को प्रकीर्ण रूप में दर्ज किया जाये। पत्रावली दिनांक को संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

।। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल ।।

फौजदारी वाद संख्या 268 सन् 2019

राज्य

बनाम

देवेन्द्र सिंह रावत

अ0धारा: 307,504,506,324,326 भा0दं0सं0

थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.05.2019 : आज अभियुक्त देवेन्द्र सिंह रावत के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307, 504, 506, 324, 326 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया एवं विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी श्री सुधीर उनियाल को सुना। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्त द्वारा घटना की तिथि को वादी की लडकी पर जानलेवा हमला किया तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपपत्र के साथ अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, मौका नक्शा नजरी, गिरफ्तारी सूचना, मेडिकल आदि संलग्न किये गये हैं। विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है। मैने गवाहान के धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों का अवलोकन किया। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 307, 504, 506, 324, 326 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या

सन् 2018

नरेन्द्र सिंह रावत

बनाम

शमीम हुसैन

अधारा: 138 एनआई एक्ट।

थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक 31.01.2019 : आज यह परिवाद द्वारा परिवाद पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत परिवाद नरेन्द्र सिंह रावत द्वारा विपक्षी शमीम हुसैन के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम्य बिलेख अधिनियम 1881 के अन्तर्गत दाखिल किया गया। परिवाद के समर्थन में परिवादी की ओर से साक्ष्य शपथपत्र 4 अ एवं परिवाद के समर्थन में सूची 5 अ, डिसआनर मैमो 8अ, नोटिस 9अ, डाक रसीद 9अ, एवं प्राप्ति स्वीकृति 11 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली दिनांक.....को वास्ते सुनवाई/आदेश हेतु पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 680 सन् 2018

राज्य

बनाम

वाजिद अहमद

अधारा: 279, 304ए भा0दं0सं0 1860

थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 28.07.2018 : आज अभियुक्त वाजिद अहमद के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया एवं विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी श्री सुधीर उनियाल को सुना। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्त द्वारा घटना की तिथि को अपने ट्रक सं0 यूपी 11टी-5837 को राज मार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा कैलाश चन्द्र बहुगुणा के ससुर विरेन्द्र दत्त पन्त को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। आरोपपत्र के साथ अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, मौका नक्शा नजरी, गिरफ्तारी सूचना, दुर्घटनास्थल वाहन निरीक्षण रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सॅलग्न किये गये हैं। विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है। मैने गवाहान के धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों का अवलोकन किया। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 679 सन् 2018

अ0धारा: 279,337,338,304ए भा0दं0सं0 1860

थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 28.76.2018 : आज अभियुक्त मनीष कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279,337,338,304ए भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया एवं विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी श्री सुधीर उनियाल को सुना। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्त द्वारा घटना की तिथि को अपनी स्विफ्ट कार सं0 यूके 13टीए-0911 को राज मार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा प्रेम लाल के भाई कमलेश एवं अन्य तीन व्यक्तियों पर टक्कर मार कर घायल कर दिया और इलाज के दौरान कमलेश की मृत्यु हो गयी तथा अन्य व्यक्तियों को गम्भीर चोटें पहुँची। आरोपपत्र के साथ अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, चिकित्सा रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट एवं मौका नक्शा नजरी, गिरफ्तारी सूचना, दुर्घटनास्थल वाहन निरीक्षण रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सॅलग्न किये गये हैं। विद्वान नामिका अभियोजन अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है। मैने गवाहान के धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों का अवलोकन किया। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 279,337,338,304ए भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 524 सन् 2018

अधारा: 324 ,504 भा0दं0सं0 1860
थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 23.06.2018 :

आज अभियुक्त अजहर उर्फ अजरुद्दीन के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 324, 504 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित नहीं। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्त द्वारा घटना की तिथि को वादी मुकदमा मुस्ताक अहमद एवं उसके छोटे भाई मूवीन पर हमला किया और चाकू से उसके छोटे भाई मूवीन को उपहति पहुँचाई और गालियाँ दी गयी। आरोपपत्र के साथ अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, चिकित्सा रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट एवं मौका नक्शा नजरी सॅलग्न किये गये हैं। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है। मैने गवाहान के धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज बयानों का अवलोकन किया। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 324, 504 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथि 25.08.2018 को उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या

सन् 2018

राज्य

बनाम

खुशनसीब व एक अन्य

अधारा: 380, 411 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 21.06.2018 :

आज अभियुक्तगण खुशनसीब एवं अमन के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 380, 411 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा गिरीश चन्द्र पैन्थूली का मोबाईल फोन चुराने और उनके कब्जे से बरामद होने का आरोप है। अभियोजन की ओर से मामले में आरोपपत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी सूचना मेमो, नक्शा नजरी घटना स्थल, नक्शा नजरी माल बरामदगी स्थल, केस डायरी आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 380, 411 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली लंच बाद अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 1973 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान किये जाने हेतु पेश हो। नकल प्रपत्र तैयार किये जायें।

(अमित कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

बाद लंच :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्तगण का विहित प्रारूप में वारण्ट तैयार कर अभियुक्तगण को जिला कारागार भेजा जाय एवं नियत तिथि पर समय 11 बजे सुबह न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

पत्रावली दिनांक

को अभियुक्तगण पर आरोप पर बहस हेतु पेश हो।

(अमित कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य

बनाम

अमित बुडाकोटी एवं तीन अन्य

अ0धारा: 323,504,506 भा0दं0सं0 1860

थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 21.06.2018 : आज अभियुक्तगण अमित बुडाकोटी, राजीव जैन, दिनेश धि
ल्लियाल एवं विवेक सिंह कैरा के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत
सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण
के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि को वादी मुकदमा बाबू खान के साथ मारपीट
कर गालियों एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। आरोपपत्र के साथ अभियोजन द्वारा प्रथम
सूचना रिपोर्ट की चिक, तहरीर वादी, गिरफ्तारी/सूचना, चिकित्सा रिपोर्ट एवं मौका नक्शा
नजरी सॅलग्न किये गये हैं। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक्
अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 1860
के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207
दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया
जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु
समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य बनाम विनोद कुमार

अधारा: 380, 411 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.06.2018 :

आज अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 380, 411 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में आरोपपत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी सूचना मेमो, नक्शा नजरी घटना स्थल, नक्शा नजरी माल बरामदगी, आरोप पत्र, केस डायरी आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 380, 411 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली लंच बाद अभियुक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 1973 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान किये जाने हेतु पेश हो। नकल प्रपत्र तैयार किये जायें।

(अमित कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

बाद लंच :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त से मौखिक रूप से पूछने पर न्यायालय को यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की ओर से कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त को अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया जाये। अभियुक्त का विहित प्रारूप में वारण्ट तैयार कर अभियुक्त को जिला कारागार भेजा जाय एवं नियत तिथि पर समय 11 बजे सुबह न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

पत्रावली दिनांक 25.06.2018 को अभियुक्त पर आरोप विरचन हेतु पेश हो।

(अमित कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य	बनाम	सुभाष पुत्र भगत राम निवासी नौली पट्टी मनियारस्यू-2, तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल।
-------	------	--

अ0धारा: 376,511,504,506,354,509 भा0दं0सं0
थाना: महिला थाना, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 15.06.2018 :

आज अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 376, 511, 504, 506, 354, 509 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में आरोपपत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक की प्रति, सामान्य दैनिकी विवरण, पर्चा अस्पताल, मेडिकल रिपोर्ट, फर्द दविश, नक्शा नजरी घटना स्थल, कॉल डिटेल रिपोर्ट, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, वादिनी के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 376, 511, 504, 506, 354, 509 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली 12.30 बजे अभियुक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 1973 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान किये जाने हेतु पेश हो। नकल प्रपत्र तैयार किये जायें।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

12.30 बजे :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सुभाष न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली अभियुक्त को अभियोजन के प्रपत्र दिये जाने हेतु नियत है। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। पत्रावली लंच बाद सेशन सुपुर्दगी आदेश हेतु पेश हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

लंच बाद :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित।

प्रस्तुत मामला अन्तर्गत धारा 376, 511, 504, 506, 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता 1860 अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः पत्रावली सेशन सुपुर्द की जाती है। सेशन सुपुर्दगी आदेश पृथक से पारित किया गया।

सेशन सुपुर्दगी की सूचना माननीय सेशन न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जाय। पत्रावली कलैण्डर सहित एक सप्ताह अन्दर माननीय सेशन न्यायालय पौड़ी गढ़वाल को भेजी जाय।

अभियुक्त का वारण्ट अन्तर्गत धारा 209 दं०प्र०सं० तैयार कर अभियुक्त को जिला कारागार भेजा जाये।

जेलर जिला जेल पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्त सुभाष को दिनांक 20.6.2018 को माननीय सेशन न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल
फौजदारी वाद संख्या सन् 2018
राजीव बडोनी बनाम प्रकाश चन्द्र बंगवाल

अधारा: 138 एनआई0एक्ट

दिनांक 23.05.2018 : आज परिवादी राजीव वडोनी द्वारा अभियुक्त प्रकाश चन्द्र बंगवाल के विरुद्ध यह परिवादपत्र अन्तर्गत धारा 138 एनआई0एक्ट प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया। परिवादपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी को नोटिस के बिन्दु पर सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तब तक परिवाद बतौर मुतफरकात फौजदारी वाद दर्ज रजिस्टर हो।

परिवादी नोटिस के बिन्दु पर दिनांक को अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 123 सन् 2018

वासुदेव कालरा बनाम तजविन्दर सिंह नरूला

अधारा: 138 एनआईएक्ट
एवं 420 भादसं

दिनांक 23.05.2018 : आज परिवादी वासुदेव कालरा द्वारा अभियुक्त तजविन्दर सिंह नरूला के विरुद्ध यह परिवादपत्र अन्तर्गत धारा 138 एनआईएक्ट एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 प्रस्तुत किया गया।

परिवादपत्र के साथ परिवादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 142बी एनआईएक्ट परिवादपत्र के दायर करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु भी प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का परिशीलन किया। परिवाद बतौर मुतफरकात फौजदारी वाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते आपत्ति एवं निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 142बी एनआईएक्ट दिनांक को पेश हो। विपक्षी/अभियुक्त को उक्त प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 447 सन् 2018

राज्य बनाम राजीव जैन एवं चार अन्य

अधारा: 147,323,504,506,427 भादसं 1860
थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 18.05.2018 : आज अभियुक्तगण राजीव जैन, अमित बुडाकोटी, अबू मूसा, किशोर जैन एवं शहनवाज उर्फ भोला के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147,323,504,506,427 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि को एक नाजायज मजमा बनाकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर गालियों एवं जान से मारने की धमकी दी गयी और रिष्टी कारित की। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें। अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य बनाम राजीव मैठाणी एवं तीन अन्य

अधारा: 498ए,504,506 भा0दं0सं0 1860
एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना: कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 18.05.2018 : आज अभियुक्तगण राजीव मैठाणी, पुष्पा मैठाणी, संजीव मैठाणी एवं सीमा मैठाणी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 504, 506 भा0दं0सं0 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की अवधि में वादिनी मुकदमा के साथ दहेज के लिये कूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, गालियाँ दी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी और दहेज की माँग की गयी। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 498—ए, 504, 506 भा0दं0सं0 1860 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें। अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2018

राज्य बनाम मो0 दाऊद

अ0 धारा— 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट
थाना— कोतवाली, श्रीनगर।

दिनांक: 18.05.2018— आज अभियुक्त मो० दाऊद के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 8/21, एन०डी०पी०एस०ऐक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 4.84 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21, एन०डी०पी०एस०ऐक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2018

राज्य बनाम अक्षय बिष्ट

अ० धारा— 8/21, एन०डी०पी०एस०ऐक्ट
थाना— कोतवाली, श्रीनगर।

दिनांक: 18.05.2018— आज अभियुक्त अक्षय बिष्ट के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 8/21, एन०डी०पी०एस०ऐक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 4.71 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2018

राज्य बनाम शाहवाज

अ0 धारा— 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट
थाना— कोतवाली, श्रीनगर।

दिनांक: 18.05.2018— आज अभियुक्त शाहवाज के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 4.94 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2018

राज्य बनाम दौलत सिंह

अ0 धारा— 60 आबकारी अधिनियम
थाना— कोतवाली, श्रीनगर।

दिनांक: 18.05.2018— आज अभियुक्त दौलत सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि आरोप प्रपत्र में अंकित अपराध के विवरण के अनुसार घटना की तिथि को अभियुक्त के कब्जे से 6 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

गोविन्द सिंह रावत बनाम गिरिजा प्रसाद रतूड़ी

अ०धारा: 420 भा०दं०सं०
तहसील: श्रीनगर गढ़वाल

दिनांक 15.05.2018 : आज परिवादी गोविन्द सिंह रावत द्वारा अभियुक्त गिरिजा प्रसाद रतूडी के विरुद्ध यह परिवादपत्र अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से अभियुक्त गिरिजा प्रसाद रतूडी के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अपराध होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक को पेश हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या

सन् 2018

राज्य

बनाम

सगीर अहमद एवं दो अन्य

दिनांक 05.05.2018 :

आज अभियुक्तगण सगीर अहमद, बहादुर एवं सरफराज उर्फ सरू के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 302, 201 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में आरोपपत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक की प्रति, सामान्य दैनिकी विवरण, फर्द, नक्शा नजरी घटना स्थल, अज्ञात शव पाये जाने से संबंधित प्रपत्र, कार्यवाही शिनाख्त/सुपुर्दगी नामा शव, फर्द बरामदगी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, नक्शा नजरी बरामदगी स्थल आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 302, 201 भा0दं0सं0 1860 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली 12.30 बजे अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 1973 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान किये जाने हेतु पेश हो। नकल प्रपत्र तैयार किये जायें।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

12.30 बजे :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली अभियुक्त को अभियोजन के प्रपत्र दिये जाने हेतु नियत है। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। पत्रावली लंच बाद सेशन सुपुर्दगी आदेश हेतु पेश हो।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

लंच बाद :

पुनः पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित।

प्रस्तुत मामला अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता 1860 अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः पत्रावली सेशन सुपुर्द की जाती है। सेशन सुपुर्दगी आदेश पृथक् से पारित किया गया।

सेशन सुपुर्दगी की सूचना माननीय सेशन न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जाय। पत्रावली कलैण्डर सहित एक सप्ताह अन्दर माननीय सेशन न्यायालय पौड़ी गढ़वाल को भेजी जाय।

अभियुक्तगण का वारण्ट अन्तर्गत धारा 209 दं0प्र0सं0 तैयार कर अभियुक्तगण को जिला कारागार भेजा जाय।

जेलर जिला जेल पौड़ी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्तगण को दिनांक 15.5.2018 को माननीय सेशन न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या	सन् 2018
राज्य	बनाम मोहित कुमार

भा0दं0सं0

अ0धारा: 354,354(ग),354(घ),504,506

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 26.04.2018 : आज अभियुक्त मोहित कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 354,354(ग),354(घ),504,506 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 354,354(ग),354(घ),504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

अभियुक्त मोहित कुमार जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त का वारण्ट अन्तर्गत धारा 309 दं0प्र0सं0 तैयार कर अभियुक्त को जिला कारागार भेजा जाय।

पत्रावली दिनांक को वास्ते दिये जाने नकलें पेश हो। नकलें तैयार की जाय। अभियुक्त को उक्त तिथि को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

(अमित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

मुत0 फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य बनाम मुकुल चौधरी एवं दो अन्य

अ0धारा: 323,504,506 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.04.2018 : आज अभियुक्तगण मुकुल चौधरी, नवीन नेगी एवं शिशुपाल सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रपत्रों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह विदित होता है कि संज्ञान के बिन्दु पर विवेचक को सुना जाना न्यायोचित

प्रतीत होता है। ऐसी दशा में पत्रावली को प्रकीर्ण रूप में दर्ज किया जाय तथा विवेचक को इस बाबत सूचना प्रेषित की जाय।

पत्रावली दिनांक 21.04.2018 को संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

(अमित कुमार
)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

मुत0 फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य बनाम शुभम बिष्ट एवं दो अन्य

अ0धारा: 323,504,506 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.04.2018 : आज अभियुक्तगण शुभम बिष्ट, वरुन सिंह एवं राहुल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रपत्रों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह विदित होता है कि संज्ञान के बिन्दु पर विवेचक को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी दशा में पत्रावली को प्रकीर्ण रूप में दर्ज किया जाय तथा विवेचक को इस बाबत सूचना प्रेषित की जाय।

पत्रावली दिनांक 21.04.2018 को संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

)

(अमित कुमार

न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 183 सन् 2018

राज्य बनाम मौ० साहिब

अ०धारा: 380,454,411 भा०दं०सं०

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 30.03.2018 : आज अभियुक्त मौ० साहिब के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 380,454,411 भा०दं०सं० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 380,454,411 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो।

अभियुक्त मौ० साहिब जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को धारा 207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियोजन दस्तावेजों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त का वारण्ट अन्तर्गत धारा 309 दं०प्र०सं० तैयार किया जाय।

पत्रावली दिनांक 12.04.2018 को वास्ते विरचित किये जाने आरोप पेश हो। अभियुक्त को उक्त तिथि को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

गुफरान)

(सैय्यद

न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 165 सन् 2018

राज्य बनाम बुद्धि सिंह मियों

अधारा: 420,467,468,471 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.03.2018 : आज अभियुक्त बुद्धि सिंह मियों के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0 मफरूरी में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु नियमानुसार आदेशिका जारी हो।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 164 सन् 2018

राज्य बनाम वीरेन्द्र प्रसाद रतूड़ी एवं 3 अन्य

अधारा: 498—ए, 504, 506

भा0दं0सं0 एवं

3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना: महिला थाना, श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल

दिनांक 19.03.2018 : आज अभियुक्तगण वीरेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, जीत राम रतूड़ी, श्रीमती पुष्पा देवी एवं अनिल रतूड़ी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 498—ए, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 498—ए, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 163 सन् 2018

राज्य बनाम देवकान्त देवराड़ी एवं 1 अन्य

अ0धारा: 323,504,506 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.03.2018 : आज अभियुक्तगण देवकान्त देवराड़ी एवं रोहित गुनसोला के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

गुफरान)

(सैय्यद
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 162 सन् 2018

राज्य बनाम श्रीमती कुशला पुण्डीर

अ0धारा: 504,506,452,427 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.03.2018 : आज अभियुक्ता श्रीमती कुशला पुण्डीर के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 504,506,452,427 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात्

अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध धारा 504,506,452,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्ता को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्ता उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

गुफरान)

(सैय्यद
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 161 सन् 2018

राज्य बनाम जाकिर हुसैन

अ0धारा: 406, 420 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 19.03.2018 : आज अभियुक्त जाकिर हुसैन के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 406, 420 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 406, 420 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या 161 सन् 2018

राज्य

बनाम

जाकिर हुसैन

अधारा: 406, 420 भाद०सं०

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या सन् 2018

राज्य बनाम राज बहादुर शर्मा एवं 2 अन्य

अधारा: 420,504,506,120बी भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 24.02.2018 : आज अभियुक्तगण राज बहादुर शर्मा, अमरीश यादव एवं विक्रम सिंह यादव के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 420,504,506,120बी भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 420,504,506,120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या 234 / 2017

प्रताप सिंह भण्डारी

बनाम

प्रकाश चन्द्र बंगवाल

(अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट)

1. फेहरिस्त	अ-1			16.10.2017
2. आदेश पत्र	अ-1			16.10.2017
3. परिवाद पत्र	अ-1	7	7:00	16.10.2017
4. शपथपत्र	अ-1	2	2:00	16.10.2017
5. सूचि कागजात	अ-1			16.10.2017
6. चैक	अ-1			16.10.2017
7. चैक जमा रसीद	अ-1			16.10.2017
8. अनादरण रसीद	अ-1			16.10.2017
9. नोटिस	अ-1			16.10.
2017				
10. रसीद रजिस्ट्री	अ-1			16.10.
2017				
11. वकालतनामा	ब-1			16.10.
2017				

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

प्रकीर्ण फौ0 वाद संख्या / 2017

प्रीति चौहान बनाम धीरेन्द्र सिंह व शकुन्तला देवी।

12. फेहरिस्त	अ-1			11.10.2017
13. आदेश पत्र	अ-1			11.10.2017
14. प्रार्थना पत्र				
(अन्तर्गत धारा 12 धरेलू हिंसा)	अ-3	4	12:00	11.10.2017
15. शपथपत्र	अ-1	2	2:00	11.10.2017

16. प्रार्थना पत्र				
(अन्तर्गत धारा 23(2) धरेलू हिंसा) अ-1	2	2:00	11.10.2017	
17. शपथपत्र	अ-1	2	2:00	11.10.2017
18. वकालतनामा	ब-1	2	2:00	11.10.2017
19. फेहरिस्त कागजात	अ-1			11.10.2017
20. फोटोग्राफ	अ-1			11.10.2017
21. शादी कार्ड	अ-1			11.10.2017

Complete Statement showing Landed properties of Sayed Gufran Civil Judge (J.D.) Srinagar Dist. Pauri Garhwal as required Under Rule 425 of the General Rules (Civil) held during the financial year 2016-2017 (01-04-2016 to 31-03-2017)

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 314 सन् 2017

राज्य

बनाम

श्रीमती देवेश्वरी देवी एवं 9 अन्य

अधारा: 147,149,186,427 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.12.2017 : आज अभियुक्तगण श्रीमती देवेश्वरी देवी, श्रीमती थेपो देवी उर्फ बसन्ती देवी, श्रीमती सरिता देवी, अशोक बिष्ट, गायत्री देवी, रामा देवी, सुनीता देवी, रोशनी देवी, सुमतिदेवी एवं विमला देवी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147,149,186,427 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 147,149,186,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

न्यायिक मजिस्ट्रेट

(प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 269 सन् 2017

राज्य

बनाम

मीना डोभाल

अ0धारा: 504,506 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 16.11.2017 : आज अभियुक्ता मीना डोभाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 504,506 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में

उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध धारा 504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्ता को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्ता उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 270 सन् 2017

राज्य बनाम खुशाल सिंह

भा0दं0सं0

अ0धारा: 279,304-ए,337,338,427

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 16.11.2017 : आज अभियुक्त खुशाल सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279,304-ए,337,338,427 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 279,304-ए,337,338,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 268 सन् 2017

राज्य

बनाम

गुरुप्रीत सिंह

अधारा: 279,427 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

थदनांक 16.11.2017 : आज अभियुक्त गुरुप्रीत सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279,427 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 279,427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 272 सन् 2017

राज्य

बनाम

मौ० वसीम अख्तर

अ०धारा: 153(क) भा०दं०सं०

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 16.11.2017 : आज अभियुक्त मौ० वसीम अख्तर के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 153(क) भा०दं०सं० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 153(क) भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- 271 सन् 2017

राज्य

बनाम

समीर रतूड़ी एवं 10 अन्य

अधारा: 147,149,341,355,504,506,116,188

भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 16.11.2017 : आज अभियुक्तगण (1) समीर रतूड़ी पुत्र जगदम्बा प्रसाद, (2) प्रेमबल्लभ नैथानी पुत्र स्व0 श्री अमरानन्द (3) श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी मोहन चन्द्र, (4) प्रवीण भण्डारी पुत्र शिव राम (5) कु0रेशमा पुत्री कलम सिंह (6) श्रीमती कमला देवी पत्नी जोत सिंह (7) रीना देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह (8) देव सिंह नेगी पुत्र स्व0 गजे सिंह (9) खेम सिंह चौहान पुत्र शिव सिंह (10) अशोक बिष्ट पुत्र अर्जुन सिंह एवं (11) श्रीमती सरिता नेगी पत्नी गांधी सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147,149,341,355,504,506,116,188 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 147,149,341,355,504,506,116,188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

न्यायिक मजिस्ट्रेट

(प्रथम श्रेणी)

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: 267 सन् 2017

राज्य

बनाम

सुनील सिंह भण्डारी

अ0 धारा- 13, जुआ अधिनियम
थाना- श्रीनगर।

दिनांक: 16.11.2017 आज अभियुक्त सुनील सिंह भण्डारी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 13, जुआ अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 13, जुआ अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या:- 01 सन् 2017

मोनिका देवी

बनाम

दीपक बिष्ट आदि

अ० धारा- 12, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

दिनांक: 02.08.2017

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया।

प्रार्थिनी मय अपने विद्वान अधिवक्ता श्री के०पी० बमराड़ा एडवोकेट सहित न्यायालय उपस्थित।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्र०श्रे०
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2017

राज्य बनाम सुधान्शु आर्य

एन0डी0पी0एस0ऐक्ट

अ0 धारा— 8/21,

थाना— श्रीनगर।

दिनांक: 06.10.2017 आज अभियुक्त सुधान्शु आर्य के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2017

राज्य बनाम राज कुमार महाजन उर्फ गोगी एवं 1

अन्य

अ0 धारा— 4, जुआ अधिनियम
थाना— श्रीनगर।

दिनांक: 06.10.2017 आज अभियुक्तगण राज कुमार महाजन उर्फ गोगी एवं वैभव अरोड़ा उर्फ शीनू के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 4, जुआ अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 4, जुआ अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2017

राज्य बनाम शेख जियरूल अली

अधिनियम

अ0 धारा— 60 आबकारी

थाना— श्रीनगर।

दिनांक: 06.10.2017 आज अभियुक्त शेख जियरूल अली के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त शेख जियरूल अली के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों

की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्त नियत की जाती है। अभियुक्त को समन जारी हो।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर ,पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या: सन् 2017

राज्य बनाम रितेश एवं एक अन्य

अधिनियम

अ0 धारा- 60 आबकारी

थाना- श्रीनगर।

दिनांक: 06.10.2017 आज अभियुक्तगण रितेश एवं दरम्यान सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण रितेश एवं दरम्यान सिंह के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक को वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण नियत की जाती है। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- सन् 2017

राज्य बनाम रवीलाल आदि

अधारा: 147,341,353,504 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.10.2017 : आज अभियुक्तगण (1) रवीलाल पुत्र सुन्दर लाल, (2) रामभरोसा पुत्र चन्द्र लाल, (3) शंकर सिंह राणा पुत्र भगत सिंह राणा, (4) दिगम्बर प्रसाद पुत्र चन्द्र लाल, (5) मुकेश राणा पुत्र तेज सिंह राणा एवं (6) मुकेश चन्द बहुगुणा पुत्र गंगाराम के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147,341,353,504 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 147,341,353,504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्तगण को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्तगण उपरोक्त को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- सन् 2017

राज्य बनाम आसिम

अधारा: 379, 411 भा0दं0सं0

थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.10.2017 : आज अभियुक्त आसिम पुत्र अब्दुल गफ्फार कुमार निवासी अपर बाजार पौड़ी कोतवाली पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 379,411 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त आसिम के विरुद्ध धारा 379, 411 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त आसिम को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

गुफरान)

(सैय्यद

(प्रथम श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रीनगर पौड़ी

गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- सन् 2017

राज्य बनाम सन्दीप उर्फ सन्नी

अधारा: 454, 380, 511 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.10.2017 : आज अभियुक्त सन्दीप उर्फ सन्नी पुत्र सोहन कुमार निवासी मिस्त्री मोहल्ला थाना श्रीनगर गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 454, 380, 511 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त सन्दीप उर्फ सन्नी के विरुद्ध धारा 454, 380, 511 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त सन्दीप उर्फ सन्नी को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम
श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:— सन् 2017

राज्य बनाम अजय गिरी

अधारा: 504, 506 भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.10.2017 : आज अभियुक्त अजय गिरी पुत्र रमेश गिरी निवासी घसिया महादेव थाना श्रीनगर गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त अजय गिरी के विरुद्ध धारा 504, 506 भा0दं0सं0 के

अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त अजय गिरी को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

(सैय्यद गुफरान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम
श्रेणी)
श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

फौजदारी वाद संख्या:- सन् 2017

राज्य बनाम नीरज गौड़

अ0धारा: 279,337,338,304ए भा0दं0सं0
थाना: श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 06.10.2017 : आज अभियुक्त नीरज गौड़ पुत्र स्व0 चन्द्रकिशोर निवासी चौरास स्टेडियम के अन्दर, थाना कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279,337,338,304ए भा0दं0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र व केस डायरी में अंकित बयानों एवं अभिलेखगत सामाग्री का अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध अभिलेखगत सामाग्री के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त नीरज गौड़ के विरुद्ध धारा 279,337,338,304ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। फौजदारी अहलमद धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाशीघ्र अभियोजन प्रपत्रों की नकलें तैयार कर अभियुक्त को दिया जाना सुनिश्चित करें और अभियुक्त नीरज गौड़ को नियत तिथिको उपस्थिति हेतु समन जारी हों।

(सैय्यद गुफरान)

श्रेणी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम

श्रीनगर पौड़ी
गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

फौजदारी वाद संख्या— 291/2021

राज्य

बनाम

धर्म सिंह आदि

मु०अ०सं०—42/2021

अंतर्गत धारा—2/3 महामारी अधिनियम एवं 51

बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005

थाना— श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।

दिनांक—22.11.2021

प्रस्तुत परिवाद परिवादी एसएचओ हरिओम राज चौहान,प्रभारी निरीक्षक,थाना श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल द्वारा धर्म सिंह आदि के विरुद्ध अर्न्तगत धारा 2/3 महामारी अधिनियम एवं 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि अभियुक्तगण द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपनी मोबाईल व वैल्विग की दुकाने खोलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अर्न्तगत

धारा 2/3 महामारी अधिनियम एवं 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 का अपराध किया गया है।

परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत मामले में परिवादी एक लाक सेवक है, जिसके बयान अर्न्तगत धारा 200/202 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते तलवी बहस दिनांक को पेश हो।

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

प्रेषक,

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

मननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक— /श्रीनगर, गढ़वाल/2022

दिनांक .07.2022

विषय— विद्युत देयक के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान पूर्वक अवगत कराना है कि न्यायालय/कार्यालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र० श्रे०), श्रीनगर गढ़वाल के न्यायालय भवन में संयोजित विद्युत संयोजन संख्या—**SN61310495290** का देयक अवधि दिनांक 19.06.2022 से दिनांक 18.07.2022 तक का बकाया सहित मुव०—60109/—रूपये भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

संलग्न— यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्रेश्वरी सिंह)
सिविल जज/
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

अपराध संख्या— 9 / 2022

सरकार

बनाम

जीवन गुर्जर

अ० ध०—420 / 120 / 66(सी), (66डी)

प्रेषित—थानाध्यक्ष,
बालाघाट करौली, राजस्थान ।

उपरोक्त मामले में अवगत कराना है कि अभियुक्त जीवन गुर्जर पुत्र बाबू लाल, निवासी— कंजौली, थाना— बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानती सं०—1. मुकेश पुत्र हुकम सिंह, निवासी— ग्राम बामनवास जाखोलास कला, फुलवाडा, थाना— बाटोदा, जिला— सवाई माधोपुर, राजस्थान, सं०—2. राजेन्द्र सिंह पुत्र मंगल निवासी— ग्राम कंजौली, करौली, थाना—बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा अभियुक्त की रूपया 50,000 /— की जमानत दी है जिस कारण उक्त जमानतियों के चरित्र एवं पते का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त जमानतियों के जमानतनामे मय जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) व आधार कार्ड की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप उक्त जमानतियों के जमानत हेतु दाखिल किये गये उपरोक्त प्रपत्रों के अनुसार जमानतियों के चरित्र एवं पते आदि का सत्यापन करवाकर तस्दीकी आख्या इस न्यायालय को अबिलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निदेशित करें ।

न्यायिक मजि०, प्रथम श्रेणी
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

अपराध संख्या— 9 / 2022

सरकार

बनाम

जीवन गुर्जर

अ० ध०—420 / 120 / 66(सी), (66डी)

प्रेषित—जिलाधिकारी,
करौली, राजस्थान ।

उपरोक्त मामले में अवगत कराना है कि अभियुक्त जीवन गुर्जर पुत्र बाबू लाल, निवासी— कंजौली, थाना— बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानती सं०—1. मुकेश पुत्र हुकम सिंह, निवासी— ग्राम बामनवास जाखोलास कला, फुलवाडा, थाना— बाटोदा, जिला— सर्वाई माधोपुर, राजस्थान, सं०—2. राजेन्द्र सिंह पुत्र मंगल निवासी— ग्राम कंजौली, करौली, थाना—बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा अभियुक्त की रूपया 50,000 /— की जमानत दी है जिस कारण उक्त जमानतियों के चरित्र एवं पते का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त जमानतियों के जमानतनामे मय जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) व आधार कार्ड की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप उक्त जमानतियों के जमानत हेतु दाखिल किये गये उपरोक्त प्रपत्रों के अनुसार जमानतियों के चरित्र एवं पते आदि का सत्यापन करवाकर तस्दीकी आख्या इस न्यायालय को अबिलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निदेशित करें ।

न्यायिक मजि०, प्रथम श्रेणी
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

अपराध संख्या— 78/2021

सरकार

बनाम

जीवन गुर्जर

अ० ध०—420/120/66(सी), (66डी)

प्रेषित—थानाध्यक्ष,
बालाघाट करौली, राजस्थान।

उपरोक्त मामले में अवगत कराना है कि अभियुक्त जीवन गुर्जर पुत्र बाबू लाल, निवासी— कंजौली, थाना— बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानती सं०—1. रामस्वरूप पुत्र रामहन्सी, निवासी— कंजौली, थाना—करौली, जिला—करौली, राजस्थान, सं०—2. साहब सिंह पुत्र रामजी लाल निवासी— ग्राम गुर्जर बस्ती तिरहटा, करौली खुडा, थाना—मासलपुर, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा अभियुक्त की रूपया 50,000/— की जमानत दी है जिस कारण उक्त जमानतियों के चरित्र एवं पते का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त जमानतियों के जमानतनामे मय जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) व आधार कार्ड की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप उक्त जमानतियों के जमानत हेतु दाखिल किये गये उपरोक्त प्रपत्रों के अनुसार जमानतियों के चरित्र एवं पते आदि का सत्यापन करवाकर तस्दीकी आख्या इस न्यायालय को अबिलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निदेशित करें।

न्यायिक मजि०, प्रथम श्रेणी
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र०श्रे०), श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

अपराध संख्या— 78 / 2021

सरकार

बनाम

जीवन गुर्जर

अ० ध०—420 / 120 / 66(सी),(66डी)

प्रेषित—जिलाधिकारी,
करौली, राजस्थान ।

उपरोक्त मामले में अवगत कराना है कि अभियुक्त जीवन गुर्जर पुत्र बाबू लाल, निवासी— कंजौली, थाना— बालाघाट, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानती सं०—1. रामस्वरूप पुत्र रामहन्सी, निवासी— कंजौली, थाना—करौली, जिला—करौली, राजस्थान, सं०—2. साहब सिंह पुत्र रामजी लाल निवासी— ग्राम गुर्जर बस्ती तिरहटा, करौली खुडा, थाना—मासलपुर, जिला— करौली, राजस्थान द्वारा अभियुक्त की रूपया 50,000 /— की जमानत दी है जिस कारण उक्त जमानतियों के चरित्र एवं पते का सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त जमानतियों के जमानतनामे मय जमाबन्दी (खेवट / खतोनी) व आधार कार्ड की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप उक्त जमानतियों के जमानत हेतु दाखिल किये गये उपरोक्त प्रपत्रों के अनुसार जमानतियों के चरित्र एवं पते आदि का सत्यापन करवाकर तस्दीकी आख्या इस न्यायालय को अबिलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निदेशित करें ।

न्यायिक मजि०, प्रथम श्रेणी
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ।

